

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) मध्यप्रदेश,
सतपुडा भवन भोपाल

क्रमांक उत्पादन/निस्तार/1223

भोपाल दिनांक 2-4-2007

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

वन संरक्षक नर्मदा सागर उत्पादन वृत्त खण्डवा

समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय व उत्पादन)

मध्यप्रदेश

विषय:- कूपों से इमारती लकड़ी निकालने के बाद निर्धारित अवधि के लिये कूप खोले जाकर जलाऊ लकड़ी (बिना चट्टे बनाये हुये) का प्रदाय ।

---0---

जैसा कि आपको ज्ञात है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनोपार्जों का प्रथम अधिकार समीप के रहने वाले वनवासियों का है । इसी प्राथमिकता को प्रदेश की वन नीति 2005 में भी प्रतिपादित किया गया है । यहाँ भी उल्लेखनीय है कि यदि शासन कूपों से प्राप्त वनोपज विशेष रूप से जलाऊ लकड़ी को यदि वन क्षेत्र में या उसके पास रहने वाले ग्रामवासियों को ऐसी दरों पर उपलब्ध कराता है जिस पर वे उसे आसानी से ले सकें, तो कम से कम उस सीमा तक वनों पर दबाव कम होगा । इसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 06-02-2007 को आयोजित वन पंचायत में भी की गई थी ।

कूपों से इमारती लकड़ी के विदोहन के उपरान्त जलाऊ लकड़ी के चट्टे बनाये जाते हैं । स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन चट्टों में से कुछ चट्टे ग्रामवासियों को निस्तार में जलाऊ हेतु प्रदाय किये जाते हैं । इन जलाऊ चट्टों के निर्माण में शासकीय व्यय होने से ग्रामवासियों को निस्तार में प्राप्त चट्टे मंहगे पड़ते हैं । अतः वन समिति के सदस्यों को कूप से निस्तारी जलाऊ का प्रदाय बैलगाड़ी या ट्रैक्टर ट्राली से करने की व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है:-

(1) कूप में चिन्हांकन के समय ही, स्थानीय तौर पर निस्तार में दिये जाने वाले जलाऊ चट्टों की आवश्यकता का आंकलन कर, किन कूप से कितने जलाऊ चट्टे निस्तार में दिये जायेंगे, इसका निर्धारण किया जायेगा । इस प्रकार जलाऊ चट्टों के कुल अनुमानित उत्पादन की संख्या, तथा उसमें से निस्तार प्रदाय के लिये निर्धारित चट्टों की संख्या की कूप-वार जानकारी क्षेत्रीय इकाई द्वारा कूप हस्तांतरण के समय उत्पादन इकाई को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(2) इस प्रथा के माध्यम से जलाऊ लकड़ी का प्रदाय प्रारम्भ करने के पूर्व, कूप से विदोहित सम्पूर्ण इमारती लकड़ी तथा निस्तार की अनुमानित आवश्यकता को छोड़कर शेष जलाऊ चट्टों की निकासी पूर्ण की जायेगी। निस्तार प्रदाय के लिये निर्धारित जलाऊ लकड़ी बिना चट्टे बनाये हुये स्थल पर ही छोड़ दी जायेगी, जिसकी निस्तार के लाभार्थियों द्वारा इस परिपत्र में दी गई व्यवस्था अनुसार निकासी की जायेगी । शहरी क्षेत्रों में दाह संस्कार आदि के लिये जलाऊ लकड़ी लगती हो तो उसके लिये भी चट्टे बनाये जायेंगे । यथासंभव एक कूप में अनुमानित उत्पादन की समस्त लकड़ी निस्तार के लिये उपलब्ध कराई जायेगी, तथा यदि निस्तार की आवश्यकता से अनुमानित अधिक है, तो निस्तार प्रदाय के लिये बिना चट्टे बनाये हुये कूप के निर्धारित सेक्शन को छोड़कर अन्य सेक्शनों में जलाऊ चट्टे बनाये जायेंगे ।

उदाहरण के लिये:-

(क) यदि किसी कूप में 400 जलाऊ चट्टों का उत्पादन अनुमानित है, तथा 100 बैलगाड़ी जलाऊ निस्तार में दी जानी है, तो कूप के कुल चार सेक्शनों में से तीन सेक्शनों से 300 चट्टे बनाकर निकाल लिये जायेंगे तथा चौथा सेक्शन निस्तार के लिये आरक्षित रहेगा एवं इस सेक्शन से जलाऊ बिना चट्टा बनाये बैलगाड़ी

द्वारा निस्तार में प्रदाय की जायेगी । निस्तार के लिये आरक्षित सेक्शन का चयन बैलागाड़ी द्वारा निकासी की सुविधा की दृष्टि से किया जाएगा ।

(ख) यदि किसी कूप में 400 जलाऊ चट्टों का उत्पादन अनुमानित है तथा शहरी मांग 100 चट्टों की है तथा ग्रामों की मांग 500 बैलागाड़ियों की है तब 100 चट्टे तो बनाए ही जायें एवं ग्रामवासियों को उनकी आवश्यकता में समानुपातिक कमी कर शेष लकड़ी बिना चट्टे बनाये दी जाएगी ।

(3) निस्तार हेतु प्रस्तावित कूपों में विदोहन यथासंभव 31 मार्च तक पूर्ण किया जायेगा, जिससे निकासी उपरांत इन कूपों को निस्तार हेतु खोला जा सके। विशेष परिस्थितियों में ही यह अवधि वन संरक्षक द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

(4) कूपों से जलाऊ लकड़ी के निस्तार प्रदाय से संबंधित कार्य क्षेत्रीय इकाई द्वारा संचालित होंगे । इसके लिये कूप से इमारती लकड़ी तथा निस्तार की आवश्यकता को छोड़ने के बाद अवशेष जलाऊ लकड़ी की निकासी के उपरांत, परिक्षेत्र अधिकारी स्तर पर उत्पादन इकाई से क्षेत्रीय इकाई को कूप का अथवा कूप के सेक्शन का, जैसी भी स्थिति हो, हस्तांतरण किया जायेगा तथा दोनों इकाईयों के परिक्षेत्र अधिकारी इसकी सूचना संबंधित वन मंडलाधिकारी को देंगे । जिस अवधि में बैलागाड़ी द्वारा जलाऊ की निकासी दी जायेगी, उस अवधि में वन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अमले की ड्यूटी वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा लगाई जायेगी ।

(5) निस्तार में प्रस्तावित जलाऊ लकड़ी के बैलागाड़ियों से प्रदाय हेतु वन समिति की आमसभा में सदस्यों की आवश्यकता अनुमोदित की जायेगी । इस अनुमोदित सूची के अनुसार तथा उपलब्धता अनुसार जलाऊ प्रदाय हेतु मनी रसीद वन समिति के सचिव (वनरक्षक/वनपान) द्वारा जारी की जायेगी । मनी रसीद वसूल की गई राशि का समायोजन निस्तार में प्राप्त अन्य राजस्व की तरह किया जायेगा ।

(6) वन समिति के एक परिवार को 2 बैलागाड़ी तक जलाऊ की पात्रता होगी । यदि ट्रेक्टर-ट्राली द्वारा निकासी किया जाना हो तो उसके लिये मनी रसीद के पृष्ठ भाग पर उन सभी सदस्यों के नाम अंकित किये जाएंगे, जो मिलकर जलाऊ लकड़ी की निकासी ट्रेक्टर-ट्राली के माध्यम से कर रहे हैं ।

(7) इस प्रकार निजी उपयोग के लिये निस्तार में प्रदायित जलाऊ बैलागाड़ी के परिवहन हेतु टी.पी. की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु निकासी की जा रही वनोपज के साथ संबंधित मनी रसीद रखना अनिवार्य होगा । मनी रसीद के पृष्ठभाग पर चैकिंग करने वाले वन कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये जायेंगे ।

(8) इस व्यवस्था में बिना चट्टा बनाये ही जलाऊ का प्रदाय किया जायेगा, इसलिये चट्टे बनाने पर होने वाले व्यय की बचत होगी तथा इस प्रकार बचत की गई राशि वसूली नहीं की जाएगी । दूसरे शब्दों में, वित्तीय दृष्टि से यह ध्यान रखना है कि इस व्यवस्था से शासकीय व्यय में जितनी राशि की बचत होगी, केवल उतनी ही राशि की आय में गणितीय कमी आयेगी परन्तु शुद्ध रूप से शासकीय आय में कोई कमी नहीं होगी । इस उद्देश्य से एक बैलागाड़ी जलाऊ (अनुमानित: एक जलाऊ चट्टे) का मूल्य निम्नानुसार परिगणित किया जाएगा:-

(क) एक जलाऊ चट्टा बनाने के लिये आवश्यक वृक्ष/वृक्षों के विदोहन पर लगभग आधा मानव दिवस का व्यय आता है । अतः कूप से बिना चट्टा बनाये हुये निस्तार प्रदाय में एक बैलागाड़ी जलाऊ के प्रदाय हेतु आधे मानव दिवस की तत्कालीन दर से राशि की गणना वसूली हेतु की जाएगी, जिस पर वन विकास उपकर भी देय होगा । उदाहरण के लिये, यदि दैनिक मजदूरी की दर 84 रूपये है तो एक बैलागाड़ी जलाऊ के लिये रूपये $42+1.26$ (वन विकास उपकर)=रूपये 43.26 की राशि परिगणित की जाएगी ।

(ख) यदि कूप से वन समिति के सदस्यों को चट्टा प्रदाय की दर रु. 74 प्रति चट्टा (निस्तार पत्रिका के अनुसार) निर्धारित है और संबंधित वृत्त में चट्टा बनवाई की दर रु. 54 प्रति चट्टा तथा अभिलेखन व्यय रु. 0.76 निर्धारित है तो एक बैलागाड़ी जलाऊ के लिये रु. $74+54+0.76$ =रु. 128.76 की राशि परिगणित की जाएगी ।

उपरोक्त (क) और (ख) में परिगणित राशि में से जो भी राशि अधिक होगी, वह राशि बैलागाड़ी जलाऊ के लिये वसूल की जाएगी । उपरोक्तानुसार प्राप्त दर को अगले रूपये में पूर्णांक किया जावेगा अर्थात् रूपये 43.76 को रु. 44/- में ।

(9) इस प्रथा के अनुसार जलाऊ की निकासी हेतु प्रत्येक कूप अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के लिये खोला जायेगा । जलाऊ प्रदाय हेतु कूप खोले जाने की निर्धारित अवधि की सूचना निस्तार पत्रिका में

सम्मिलित की जायेगी तथा स्थानीय तौर पर वन समितियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा ।

(10) क्षेत्रीय इकाई द्वारा इस अवधि में विशेष वन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक अमले की इ्यूटी लगाई जायेगी तथा जलाऊ लकड़ी की निकासी सूर्योदय के उपरान्त तथा सूर्यास्त के पूर्व ही की जायेगी । सुरक्षा हेतु अमले की उपलब्धता को देखते हुये जलाऊ की निकासी हेतु निर्धारित दिनों की संख्या का निर्धारण वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा किया जायेगा, जो कि एक दिन से लेकर उपरोक्त पैरा (9) में अंकित अनुसार अधिकतम सात दिन तक किया जा सकेगा । यदि अमला कम हो तो कूप एक के बाद एक करके भी खोले जा सकते हैं ।

सही/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठाकन क्रमांक/उत्पादन/निस्तार/1224

भोपाल, दिनांक 2/4/2007

प्रतिलिपि:-

- 1/ निजी सचिव, माननीय वन मंत्रीजी
- 2/ निजी सचिव, माननीय राज्य वन मंत्रीजी
- 3/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल
- 4/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल
- 5/ प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. भोपाल
- 6/ प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपाज सहकारी संघ मर्या. भोपाल
- 7/ समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।